

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

पत्रांक: कमांक-15 न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2022

दिनांक फरवरी 23, 2022

स्वामी/प्रबन्धक

मै0 ई0डब्लू0एस0 गुप हाउसिंग अण्डर प्रधानमंत्री आवास योजना

खसरा नं0-86/1, 87, 88/1, 91

ग्राम-मदकोटा तह0-रुद्रपुर

उधम सिंह नगर।

विषय:- स्थापना पूर्ण अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी नं0-85939256 दिनांक 15.02.2022 के अनुसार प्रस्तावित स्थल का प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रुद्रपुर द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रुद्रपुर की ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित स्थल तक पर्याप्त पहुँच मार्ग उपलब्ध है जिस पर अग्निशमन विभाग के भारी वाहन आसानी से आवागमन कर सकते हैं। प्रश्नगत स्थल अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित पाया गया। उक्त स्थल पर औद्योगिक भवन के निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है। निर्देशित किया जाता है कि भवन निर्माण के समय/निर्माणोपरान्त निम्नांकित अग्निशमन एवं सुरक्षा व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी:-

- 1- भवन निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 (संशोधन-2016) पार्ट-3, एवं पार्ट 4 में निहित मानकों तथा उत्तराखण्ड भवन निर्माण उपविधि (यथासंशोधित) में निहित मानकों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 2- मानक के अनुसार सैट बैक अग्र भाग में 8.5 मीटर, पृष्ठ-5.0 मीटर, पार्श्व1-5.0 मीटर, पार्श्व2-5.0 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक होगा।
- 3- प्रस्तावित स्थल में भवन निर्माण के समय सीढ़ियों की चौड़ाई 01 मीटर से किसी भी दशा में कम नहीं होगी।
- 4- दो ब्लॉकों के बीच परस्पर दूरी किसी भी दशा में 04 मीटर से कम नहीं होगी। यदि भवन 12 मीटर से अधिक ऊँचाई पर बनाया जाएगा तो भवन के प्रत्येक 03 मीटर ऊँचाई की वृद्धि पर दो ब्लॉकों के बीच परस्पर दूरी 01 मीटर अतिरिक्त का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5- प्रत्येक ब्लॉक में टैरेस में 05 हजार ली0 क्षमता का टैरेस टैंक, 450 ली0 प्रतिमिनट क्षमता का टैरेस पम्प, प्रत्येक तल/उचित पूरी पर हॉजरील्स का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
- 6- भवन के आच्छादित क्षेत्र में मानकानुसार फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किए जाने आवश्यक होंगे।
- 7- इलैक्ट्रिक पैनल की सुरक्षा हेतु उपयुक्त क्षमता के सीओटू फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाए।
- 8- सुझाए गये समस्त उपकरण/यंत्र भारतीय मानक द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
- 9- भवन निर्माण के उपरान्त सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से भवन में मानकानुसार दिये गये प्राविधान पूर्ण किये जाने का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मै0 ई0डब्लू0एस0 गुप हाउसिंग अण्डर प्रधानमंत्री आवास योजना खसरा नं0-86/1, 87, 88/1, 91 ग्राम-मदकोटा तह0-रुद्रपुर उधम सिंह नगर को स्थापना पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था नैशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 (संशोधन-2016) के अनुसार प्रस्तावित भवन अध्यासन से पूर्व इस कार्यालय से प्रश्नगत स्थल का भौतिक सत्यापन कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उधम सिंह नगर।



उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्,

राजीव गाँधी बहुउद्देशीय कॉम्पलैक्स, पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड़, देहरादून

Email id- ukavpddn@gmail.com Phone No. 0135-2651033

संख्या 64 / उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0-004 (2019-20) दिनांक 13 जनवरी, 2022

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अग्निशमन कार्यालय,
रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर।

विषय:-

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा ग्राम मठकोटा तहसील रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर के खसरा नं0-86/1, 87, 88/1, 91 रकबा 20234.30 वर्गमी0 में 938 ई0डब्लू0एस0 हेतु प्रस्तावित आवासीय परियोजनाओं पर आपत्ति/अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शहरी आवासहीन व्यक्तियों के लिये Public Private Partnership (PPP) मोड में उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवासीय परियोजनायें क्रियान्वित किये जाने भू-स्वामियों/प्राइवेट पार्टनर्स/निजी क्षेत्रों से भागीदारी प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये, जिसके क्रम में परिषद् में प्राप्त ग्राम मठकोटा तहसील रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर के खसरा नं0-86/1, 87, 88/1, 91 रकबा 20234.30 वर्गमी0 में 938 ई0डब्लू0एस0 आवासीय परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आवासीय परियोजना स्थल हेतु अपनी आपत्ति/अनापत्ति इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द राम)
अधिशायी अभियन्ता

प्रतिलिपि :

डायरेक्टर, ओजस बिल्डवेल प्रा0लि0, कार्यालय जी-127, 12वाँ तल, हिमालया हाउस, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परियोजना हेतु अग्निशमन कार्यालय, रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर से अनापत्ति लिये जाने अग्निशमन कार्यालय की मेल आई डी पर सम्बन्धित दस्तावेजों सहित प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

15/01/22
(आनन्द राम)
अधिशायी अभियन्ता